क्रम-संख्या–162 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 30 सितम्बर, 2025

आश्विन 8, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता मामले अनुभाग–2

संख्या 530/84-2-2025-1771142

लखनऊ, 30 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प०आ०–173

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2019) की धारा 32 के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 791/84-2-2024-1771142 दिनांक 04 नवम्बर, 2024 का आंशिक उपांतरण करके राज्यपाल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पीलीभीत को सरकार के अग्रतर आदेशों तक अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरदोई की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने का निदेश देते हैं।

आज्ञा से,
अभिषेक गोयल,
विशेष सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 530/LXXXIV-2-2025-1771142, dated September 30, 2025:

No. 530/ LXXXIV-2-2025-1771142
Dated Lucknow, September 30, 2025

IN exercise of the powers under clause (b) of Section 32 of the Consumer Protection Act, 2019 (Act no. 35 of 2019) *read* with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of notification no. 791/84-2-2024-1771142 dated November 4, 2024, the Governor, is pleased to direct the President, District Consumer Disputes Redressal Commission, Pilibhit to exercise the powers and discharge the functions of the President District Consumer Disputes Redressal Commission, Hardoi said until further orders of the Government.

By order,
ABHISHEK GOYAL,
Vishesh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 210 राजपत्र–2025–(627)–599+50=649 प्रतियां (डी0टी०पी0/ऑफसेट)।